कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1992 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 18 मार्च, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधानसभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No-FP/UK/Road/152108/2022)

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या– 8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2022/एफ0सी0/1310, दिनांक: 30.12.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1772/12–1 दिनांक 23.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई हैं, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.735 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि ग्राम उर्तिच्छा, विचला ढांगू–3, खसरा सं0–4336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामांतरण एवं नोटिफिकेशन के पश्चात	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधिसूचना सं0–869–F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा

0/c

	ही इस कार्यालय को विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। GUIDANCE para 2-4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गए है जो कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामांतरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या– 1566/14–2–97–800 (11)/ 1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
ग	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–1)**
घ	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न–2)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
क	**इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA** नम्बर 556 **दिनांक** 30.10.2002 , 01.08.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 (Pt.2) **दिनांक** 18.09.2003, **5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03**.10.2006 एवं **5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009** में जारी दिशानिर्देशानुसार **राज्य सरकार द्वारा** प्रयोक्ता **अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत** 1.8675 हे0 वन **क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व** वर्तमान मूल्य वसूल **करेंगी।**	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न–2)**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट **प्राप्त होने** पर माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन** भूमि के **शुद्व**	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण

	वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	द्वारा प्रेषित बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 114 पेड़ और 04 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टलम (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कर्ा के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्न–4)**
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।.
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से अपेक्षित है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण

	बढ़ाएगा।	द्वारा शर्त मान्य है।
14	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
17	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward Bearings अंकित हो।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
22	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 1992 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1772 / 12–1 दिनांक, देहरादून: [illegible] फरवरी, 2024

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
पंजीका 4032
पत्रांक 12-1
दिनांक 26-2-24

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधानसभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No-FP/UK/Road/152108/2022)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या– 8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2022/एफ0सी0/1310, दिनांकः 30.12.2022. एवं प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन की पत्र संख्या– 2788/12-1 दिनांकः 05.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0 1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधानसभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जो कि निम्न प्रकार 02 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः-

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.735 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि ग्राम उर्तिच्छा, विचला ढांगू-3, खसरा सं0-4336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामांतरण एवं नोटिफिकेशन के पश्चात ही इस कार्यालय को विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ऋच्क।छ्ब्र चंतं 2.4 ;पद्ध के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गए है जो कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामांतरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	अधिसूचना सं0-869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- 1566/ 14-2-97-800 (11)/ 1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
ग	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न-1)**
घ	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

	के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न-2)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न-2)**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	बचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न-3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 114 पेड़ और 04 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टलम (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित र्का के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्न-4)**
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।.
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	उच्च स्तर से अपेक्षित है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
14	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
17	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीयं वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward Bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
22	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक : 1772 / **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः- प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन को उपरोक्त विषय के क्रम में सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

संलग्न-01

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी
लैंसडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

6/6/23, 11:37 AM पत्र 148 दि० 28/6/23 Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-06-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	ENGINEER IN CHIEF, PUBLIC WORK DEPARTMENT, DEHRADUN
PIF/Application No.	61152108413
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/49/2022/FC
Address.	Yamuna Colony Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcddugadda@gmail.com 9412992971 135-2531072
Amount(in Rs)	2927720.45/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Twenty-Nine Lakh Twenty-Seven Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

प्रा०खं०सो अभियन्ता लो० नि० वि० खण्ड, ...

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
527148575	27/11/8/23

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-06-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	ENGINEER IN CHIEF, PUBLIC WORK DEPARTMENT, DEHRADUN
PIF/Application No.	61152108413
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/49/2022/FC
Address.	Yamuna Colony DehradunDehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcddugadda@gmail.com 9412992971 135-2531072
Amount(in Rs)	2927720.45/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Twenty-Nine Lakh Twenty-Seven Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

प्रा०खं०सो अभियन्ता लो० नि० वि० निर्माण खण्ड

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature) 25/7/23

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
527148575	27/11/8/23

संलग्नक -02

प्रपत्र–43

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली –स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल।	सहायक अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल।	अधिशासी अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0, दुगड्डा गढ़वाल।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
कोटद्वार रेंज, कोटद्वार
लैन्सडौन वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न-04

61

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ...V. K. JOGDADE...................**I.A.S.** deputy commissioner, Pauri on dated --17/8/21---------at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest and Civil Soyam Forest area measuring **1.8675Hect** for the **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal**(**Length 5.00 Km**) forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee ------------sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Pauri

Dated..17/8/21..........

17/8/21

जिलाधिकारी

(गढ़वाल।)

Deputy Commissioner- cum-Chairman

District Level committee.

Annexure-I

64

FORM-II

(for linear projects)

Government of Uttarakhand)

Office of the District Collector, Garhwal.

No----------------------

Dated 17/8/24

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in fabour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda, constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal** villagers (s) in Kotdwar tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.8675**hectares of **Reserve Forest and Van Panchayat Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....annexure ....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,

(c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature

17/8/24

जिलाधिकारी

(District Collector, Pauri)

गढ़वाल।

It is further certified that-Minutes of Meeting of **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal**(Length 5.00 Km) Regarding FRA is as following.

SL NO		REMARK
(a)	The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **1.8675Hect.** Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages, **Tachhali, Syalinga** regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

भरत सिंह नेगी
जिला पंचायत सदस्य
16-पदुडअकरा जिला पंचायत
पौड़ी गढ़वाल
जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल) कोटद्वार

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

जिलाधिकारी
पौड़ी।

६

प्रपत्र – 23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग 5.00कि0मी0के नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनो यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजातीय समूह (Primeivtive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Group) प्रभावित नही हो रहे है।

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

ह0/–
जिलाधिकारी

57

प्रपत्र 23–2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड. **कोटद्वार**परिक्षेत्र के अन्तर्गत**माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** (1.080 है0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.7875** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.8675**है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील **कोटद्वार**) की दिनांक 7/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री योगेश सिंह........उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री योगेश सिंह........उपजिलाधिकारी कोटद्वार........अध्यक्ष।

2– श्री ....उपप्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार........सदस्य।

3– श्री ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी........सदस्य/सचिव।

4– श्री ....बी0डी0सी0क्षेत्र/........सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना हेतु 1.8675है0 आरक्षित एवं सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु हस्तान्तरण की अनुशंसा की गई है।

दिनांक 17/8/2021 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1–	सर्व श्री	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2–	श्री दीपक सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार	सदस्य।
3–	श्री विनोद कुमार (अधि०)	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4–	भरत सिंह नेगी	जिला पंचायत सदस्य..............................	सदस्य।

बताया गया कि ....ब्लॉक में ....मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गो का विवरण निम्नवत् है :-

1–**माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** :–इस मोटर मार्ग का निर्माण कोटद्वार–रामणी–बल्ली मोटर मार्ग के कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। ग्राम स्यालिंगा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग के ग्राम तच्छाली की 1.2 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि, 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार की प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से आस–पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

17/8/21
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सद को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपख स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड कोटद्वारपरिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि लैन्सडौन वन प्र कोटद्वार से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सह व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–कोटद्वार।
जनपद–पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–कोटद्वार।
जनपद–पौड़ी।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** प्रस्तावित आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि 1.8675है0 लो0नि0वि0 को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

( ) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
पौड़ी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

पत्रांक......................../ सी0 दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– 1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :-- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-तच्छाली
तहसील कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **1.080** है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, **0.7875** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.8675** है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-**तच्छाली** द्वारा दिनांक 02/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **तच्छाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [signature]
दिनांक 02.02.2021
तहसील कोटद्वार

ह0

ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23–1

दिनांक 02/02/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :–तच्छाली (ग्राम तच्छाली)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल दत्त बेवनी	गोपाल दत्त
2	रमेश चन्द्र बेवनी	रमेश चन्द्र
3	नीमा देवी	नीमा देवी
4	जयकिशन जखमोला	जयकिशन जखमोला
5	वेदप्रकाश बेवनी	वेदप्रकाश
6	सतीश बेवनी	[illegible]
7	विजय प्रसाद बेवनी	Vijay Parshad
8	भरोसा नन्द बेवनी	भरोसानन्द
9	जोगेश्वर प्रसाद बेवनी	जोगेश्वर प्रसाद
10	बृजेश कुमार बेवनी	Brijesh Kumar
11	भगवती प्रसाद बेवनी	[illegible]

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [illegible]
दिनांक 02.02.2021
तहसील कोटद्वार

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा—तच्छाली—स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :—तच्छाली ग्राम - स्यालिंगा
तहसील कोटद्वार जिला—पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0—1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा—तच्छाली—स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **1.080** है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, **0.7875** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.8675** है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत—**तच्छाली** द्वारा दिनांक२१/०१/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **तच्छाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [signature]
दिनांक २१.०१.२१
तहसील कोटद्वार

ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षत में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23—1

दिनांक २९/०१/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :—तच्छाली (ग्राम स्यालिंगा)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	शंकर सिंह	[illegible]
2.	सोबन सिंह	सोबनसिंह
3.	कुँवर सिंह	कुँवरसिंह
4.	गोपाल सिंह	[illegible]
5.	मंगल सिंह	मंगलसिंह
6.	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
7.	जयपाल सिंह	जयपाल
8.	खुशीराम	खुशीराम
9.	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मणसिंह
10.	ताजवर सिंह	[illegible]
11.	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
12.	विक्रम सिंह	[illegible]
13.	नीरज	नीरज सिंह
14.	अनूप सिंह	अनूपसिंह
15	जसवन्त सिंह	जसवन्त सिंह
16.	सतेन्द्र सिंह	सतेन्द्र सिंह
17.	आनन्द सिंह	[illegible]
18.	नवीन सिंह	[illegible]
19.	खुशपाल सिंह?	[illegible]
20.	बहादुर सिंह	B.S.Negi
21	मोहित सिंह	मोहित सिंह
22	सनोज सिंह	Sanoj Singh
23	संदीप सिंह	संदीप सिंह
24	जीतेन्द्र सिंह	जीतेन्द्र सिंह

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [illegible]
दिनांक 29.01.2021
...ल कोटद्वार

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :–तच्छाली ग्राम – गिंठाला
तहसील कोटद्वार जिला–पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डाविभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत–तच्छाली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तच्छाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [signature]
दिनांक 28.01.2021
तहसील कोटद्वार
ह0

ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षत में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23—1

दिनांक 28/01/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :—तच्छाली (ग्राम गिठाला)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
2	जयमल सिंह	जयमल सिंह
3	हरि सिंह	[illegible]
4	जगमोहन सिंह	[illegible]
5	जयसिंह	जयसिंह
6	बृजमोहन सिंह	बृजमोहन सिंह
7	भगत सिंह	भगत सिंह
8	मेहरबान सिंह	मेहरबान सिंह
9	प्रेम सिंह	[illegible]
10	डबलसिंह	डबलसिंह
11	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
12	मीना देवी	मीना देवी
13	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14	महिपाल सिंह	महिपाल
15	महावीर सिंह	[illegible]
16	भारत सिंह	भारतसिंह
17	मनोज रावत	Manoj
18	कमल सिंह रावत	[illegible]

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [illegible]
दिनांक 28.01.2021
तहसील कोटद्वार

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

ग्राम सभा का नाम– काटल ग्राम –**काटल**
तहसील–कोटद्वार जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।**(5.00कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि **1.080** हे0 सिविल वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि **0.7875** हे0) **1.8675 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा – काटल के ग्राम – **काटल** द्वारा दिनांक ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत काटल
ह0........
दि0..............
वि0ख0 दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

ग्राम –काटल

क्रम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मंगल सिंह	मंगलसिंह
2-	बच्चन सिंह	[illegible]
3	सोहन सिंह	सोहन सिंह
4.	रोशन सिंह	रोशन सिंह
5-	जसवन्त सिंह	जसवन्त सिंह
6	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
7	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
8.	हेमन्ती देवी	हेमन्ती देवी
9.	सोबन सिंह	सोबन सिंह
10	दिपक ~~सक्लानी~~ सिंह	दीपक सिंह
11	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
12	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
13	रामप्रसाद	रामप्रसाद
14	मनोज सिंह	M.S. Chauhan
15	अनिल सिंह	अनिल सिंह

ह0/–

प्रधान ग्राम प्रधान काटल
ह0........
दि0........
वि0ख0 दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

ग्राम सभा का नाम– पुलिण्डा ग्राम –**पुलिण्डा**
तहसील–कोटद्वार जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।**(5.00कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.080 हे0 सिविल वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि **0.7875** हे0) **1.8675 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा – पुलिण्डा के ग्राम – **पुलिण्डा** द्वारा दिनांक 12-08-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग** दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

दीक्षा मेहरा
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.........................
विकास खण्ड-दुगड्डा

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम सभा पुलिण्डा
प्र0 अनीता नेगी
दुगड्डा पौ0 कोटद्वार

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

ग्राम –पुलिण्डा दिनांक 12-08-2022

कम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जयमल सिंह	[signature]
2-	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
3	मानसिंह	मानसिंह
4-	चन्द्रमोहन सिंह	चन्द्रमोहन सिंह
5.	बिमल सिंह	बिमलसिंह
6-	दलबीर सिंह	दलबीर सिंह
7.	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र
8.	पंकज सिंह	पंकजसिंह
9.	योगम्बर सिंह	योगम्बरसिंह
10	यशवन्त सिंह	यशवन्तसिंह
11	सीता देवी	सीता देवी
12.	जगदीश	जगदीश
13.	नवीन सिंह	नवीन सिंह
14	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

[signature]
दीक्षा मेहरा
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.........................
विकास खण्ड-दुगड्डा।

प्रधान ग्राम सभा पुलिण्डा
ह0 अनीसा बेगम
दि0..............
दुगड्डा